


बीमांगत
38/17/2015

हरी

बनाम शंकर लाल

तारीख शी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2017/00038 श्री श्री इरवाला श्री अजीत सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.2.19	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 05.02.2019 को मूल अपील को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित कर दी गई। चूंकि मूल अपील का निस्तारण हो चुका है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुकी है। न्यायालय हाजा द्वारा मूल अपील संख्या 368/2015 (2015/00070) बउनवासी हरी बनाम शंकर का निस्तारण दिनांक 5.02.2019 को हो जाने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन हो चुका है इसलिए खारिया योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> राजस्थान अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	